

180

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं शरीवी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3903/36/10/छ:/विविध/म0ब0-अ0सं0/हरदोई/2013-14, दिनांक 13 जनवरी, 2015 व पत्र संख्या-3907/38/10/छ:/विविध/अमरोहा/2012-13, दिनांक 13 जनवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-हरदोई की न0पा0परि0 शाहाबाद की 07 परियोजनाओं एवं जनपद-अमरोहा न0नि0 हसनपुर की 02 परियोजनाओं अर्थात् उक्त दोनों जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 09 परियोजनाओं हेतु ₹0 152.61 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 76.305 लाख (रुपये छिहत्तर लाख तीस हजार पाँच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के आधारे प्र. प्र. 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूझ से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूझ से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शरान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, सामाजिक गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि में ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

पृष्ठ संख्या..... 2

श्री मौर्या/श्री खन्ना

10/7/15

10/7/15


17/7/15

Budget-37
I-18/15

YF-18

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुरंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुपुटित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोजिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।


15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-03-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे गला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक - यथोक्त।

अवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव। #

संख्या-619 /2015/1589(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0,20 सजाजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, कठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण हरदोई/अमरोहा।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 619. /2015/1589(1)/69-1-15-6(अ0सं0-37)/2015. दिनांक 8 जुलाई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3		5	6
1.	हरदोई	न0पा0परि0 शाहाबाद	वार्ड नं0-05 के मो0 बुद्ध बाजार में तकी के मकान से शमशाद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	7.57	3.785
2.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 के मो0 बुद्ध बाजार में नौशाद के मकान से मुमताज के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.92	4.46
3.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 के मो0 बुद्ध बाजार में हसीब के मकान से मुड्डी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.94	0.97
4.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 के मो0 बुद्ध बाजार में मुड्डी के मकान से शकील के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.31	1.655
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-09 के मो0 अल्लापुर इब्ने जई में रामिकशुन चमार के मकान से मुन्ना लाल के मकान होते हुये सलीश धानुक के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.71	2.855
6.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-09 के मो0 अल्लापुर इब्ने जई में मुन्ना लाल चमार के मकान से सरदार लाल के मकान होते हुये नरेश चमार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.89	1.945
7.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-09 के मो0 अल्लापुर इब्ने जई में शाहजहाँपुर रोड पर पूरन लाल धोबी के मकान से बाबूराम धोबी के मकान होते हुये नरेश चमार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.99	0.995
8.	अमरोहा	हसनपुर	बस्ती शेखपुरा कायस्थान व गुलशन इकबाल में मेन रोड से मस्जिद तक गली में, मस्जिद से बुन्दु के मकान तक गली में, मेन रोड से हाजी भोल के मकान तक गली में, मेन रोड से हसनैन के मकान तक गली में, मेन रोड से बुन्दु के मकान तक गली में, माजिद के मकान से कश्दिस्तान वाली गली में, सम्भल रोड से इरशाद के मकान तक गली में, चामुण्डा मन्दिर से बाबू के मकान तक गली में, माजिद के मकान से नफीस के मकान तक गली में नफीस के मकान से खालिद के मकान तक गली में, मेन रोड से मौलाना आजाद के मकान तक गली में, एवं अनीस के मकान से कमरुद्दीन के मकान तक गली में इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	77.24	38.62
9.	तदैव	तदैव	बस्ती कनेटा रोड में रहरा बड़ पास रोड से हारुन बाग तक (पुलिया), मेन रोड से मुन्ना नरेशी के मकान तक गली में एवं माजिद के मकान से नफीस के मकान तक गली में इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	42.04	21.02
	योग			152.61	76.305

(रुपये छिहत्तर लाख तीस हजार पाँच सौ मात्र)।

huss
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।